[2019] 6 एस. सी. आर 950

कैरेटेल इंफोटेक लिमिटेड।

वी.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 3588)

अप्रैल 09,2019

[एस. ए. बोबडे और संजय किशन कौल, जे. जे.]

टेंडरः निविदा अनुबंध ई-सार्वजनिक निविदा जारी की गई

उत्तरदाता नं। 1 कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए-घोषणा की जाएगी

खंड 20 (ii) के संदर्भ में किया गया है, यदि बोलीदाता को प्रतिबंधित किया गया था या काली सूची में या सूची से हटा दिया गया था या छुट्टी सूचीबद्ध की गई थी-अपीलकर्ता, बोली लगाने वालों में से एक को गलत जानकारी और बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप पर काली सूची में डालने के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी करना।

प्रत्यर्थी सं. द्वारा निविदा जारी करने के बाद एक अन्य निविदा सूचना जारी की गई थी। 1 लेकिन बोली जमा करने से पहले अपीलार्थी ने एल-1 घोषित किया और स्वीकृति पत्र प्रदान किया

-

प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एल-2 घोषित किया-प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा एल-1 के रूप में अपीलार्थी की घोषणा को चुनौती देने वाली रिट याचिका-इसके बाद, अपीलार्थी के पक्ष में जारी किए गए शुद्ध पीछा आदेश-हालांकि, अगले दिन स्वयं, आदेश पारित किया गया और अपीलार्थी को दो साल के लिए किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया गया। टिकाऊ नहीं-विवादित आदेश ने ब्लैकलिस्टिंग खंड को गलत तरीके से पढ़ा-कारण बताएँ नोटिस अपने आप में ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया के बराबर नहीं है जो पहले ही शुरू की जा चुकी है-अपीलकर्ता अनुबंध के लिए अयोग्य नहीं होगा-जहां तक, ब्लैकलिस्टिंग आदेश के प्रभाव का संबंध है, प्रतिबंध का भविष्य के व्यावसायिक लेन-देन के लिए संभावित प्रभाव होगा-इसका दिए गए निविदा के लिए कोई आवेदन नहीं होगा-जहां तक संबंध है, प्रतिवादी नं. 3 , उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान प्रमाण पत्र पर अपनी शंका व्यक्त की-इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं थी-उच्च न्यायालय के उचित निर्णय लेने के निर्देश, वास्तव में प्रतिवादी नं. 1 अपीलार्थी के साथ अपने अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए ऐसा कोई निर्देश अपीलार्थी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

950 कैरेटेल इंफोटेक लिमिटेड। वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। & ओआरएस।

भारत का संविधानः कला. 226 - के तहत कार्यवाही लिखें

-

निविदाओं की जांच-अनुमति-आयोजित की गईः आम तौर पर पक्ष अपने अनुबंधों और निविदा शर्तों द्वारा शासित होंगे, और कोई भी रिट कला के तहत बनाए रखने योग्य नहीं होगा। 226 – आर्थिक गतिविधियों में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रवेश को देखते हुए, न्यायालय ने प्रक्रिया में निष्पक्षता के कुछ नियंत्रण और संतुलन का निर्माण करना उचित पाया-इस दृष्टिकोण ने रिट कार्यवाही में निविदाओं की जांच को जन्म दिया है-हर छोटी या बड़ी निविदा को चुनौती दी जानी चाहिए, निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में सार्वजनिक क्षेत्रों की वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है -

निविदा प्राधिकरण के दृष्टिकोण के विपरीत, कार्यवृत्त विवरण की अनावश्यक, बारीकी से जांच, द्वारा अनुबंध प्रदान करता है सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र एक बोझिल अभ्यास है-निजी अनुबंधों में शीघ्रता और दक्षता का स्तर, अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र की निविदाओं को एक गैर-प्रतिस्पर्धी अभ्यास बनाता है।

कार्य और दस्तावेजः निविदा-आयोजित की व्याख्याः

दस्तावेज़ का लेखक इसकी आवश्यकताओं को समझने और सराहना करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है-तथ्यों पर, प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी के दृष्टिकोण पर, जिसने निविदा जारी की थी, प्रबल होना चाहिए-स्वयं प्रतिवादी संख्या 1, खंड 20 के शब्दों और प्रारूप की सराहना करते हुए, लिया

एक सुविचारित दृष्टिकोण-प्रत्यर्थी सं. 3, बोली लगाने वालों में से एक, प्रत्यर्थी सं. 1 पर अनुबंध की अपनी व्याख्या थोपने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, या अदालत से प्रत्यर्थी सं. 1 को उस व्याख्या को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं कह सकता है।

निविदा एक ऐसी व्याख्या दे सकती है जो अदालत को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह स्वयं हस्तक्षेप करने का कारण नहीं होगा

व्याख्या दी गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 दोनों पहलू-खंड की व्याख्या

20 प्रारूप के साथ पढ़ा जाता है, साथ ही कारण दिखाने की सूचना के प्रभाव के साथ सहमति होती है। खंड 20 में चार संभावनाओं का प्रावधान है। तत्काल मामला वह नहीं है जहां निविदा जमा करने की तारीख को अपीलार्थी को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

काली सूची में डाल दिया या छुट्टियों की सूची में डाल दिया। बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली घोषणा खंड 20 (ii) में निर्दिष्ट की गई है, जो पहले तीन पहलुओं से संबंधित है। निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रारूप भी केवल इन तीन संभावनाओं को संदर्भित करता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई विशिष्ट प्रारूप प्रदान नहीं किया गया है, जहां संभवतः यह [2019] 6 एस. सी. आर. हो सकता था।

उन्होंने तर्क दिया कि खुलासा सभी चार पहलुओं के संबंध में होना चाहिए। प्रारूप प्रदान किया गया है, यदि आरंभ किया गया है

ब्लैकलिस्टिंग निर्दिष्ट की जानी थी, फिर उसे प्रारूप में शामिल किया जाना चाहिए था। यह नहीं कहा जा सकता है कि उपक्रम अपीलार्थी ने काली सूची में डालने के लिए कारण दर्शाएँ नोटिस के पहलू का खुलासा करना अपीलार्थी का बाध्य कर्तव्य बना दिया। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए प्रदान किए गए विशिष्ट प्रारूप के साथ एक विशिष्ट खंड है, जिसके अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। [पैरा 20,21] [963-जी-एच; 964-ए-सी]

1.2 यह तर्क देना संभव हो सकता है कि प्रारूप नहीं है

सही तरीके से बनाया गया। लेकिन फिर, यह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रारूप तैयार करने की समस्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी तथ्यात्मक स्थिति का सामना करते हुए एक सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया कि चूंकि खंड 20 (i) में चार घटनाओं के लिए प्रावधान किया गया है, जबकि प्रारूप में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए अपीलार्थी को दंडित नहीं किया जा सकता है। हो सकता है, भविष्य के लिए प्रारूप को एक उपयुक्त प्रारूप की आवश्यकता होगी।

संशोधन। [पैरा 22] [964-डी-ई]

1.3 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र में केवल यह कहा गया है कि बोली और संलग्नक में दी गई जानकारी

बोली लगाने वाले के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के प्रति सच्चे हैं। यदि कोई गलत या गलत जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि खंड 20 (i) की बताई गई शर्त 4 का उल्लंघन करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दी गई कोई गलत जानकारी है। उसी मुद्दे का एक अन्य कोण, अर्थात, खंड 20 (iii) में उसके प्रारूप के साथ प्रदान की गई अखंडता संधि, एक विस्तृत है। अखंडता समूह ने यह प्रावधान किया कि "पक्ष यह सुनिश्चित करने के संबंध में एक-दूसरे के लिए कुछ प्रतिबद्धताएं करेंगे कि

जहां तक खरीद गतिविधियों का संबंध है, निविदा दी जानी थी। एक बार फिर, खंड 20 (i) के बताए गए चौथे भाग के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। [पैरा 23] [964 - ई-एच]

1.4 ब्लैकलिस्टिंग के बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। एक शो

कारण सूचना के परिणामस्वरूप काली सूची में डाला जा सकता है या काली सूची में नहीं डाला जा सकता है। केवल CARETEL INFOTECH LTD पर जाने के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी किया जा रहा है।

वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। & ओआरएस।

बोली लगाने वाले पर इस तरह के गंभीर परिणाम को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। [पैरा 24] [965-ए-बी] 1.5 अपीलार्थी के मामले को कारण दर्शाओ नोटिस में उपयोग की गई भाषा से भी और मजबूत किया जाता है। कारण दिखाएँ

स्वयं ध्यान दें, अंतिम पैराग्राफ में, अपीलार्थी को बुलाता है कि

कारण दिखाएँ कि काली सूची में डालने के लिए उपयुक्त कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। अपीलार्थी के जवाब के अनुसार, अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया होता, तो अगला चरण ब्लैकलिस्टिंग प्रक्रिया की शुरुआत होती। दूसरी ओर, ब्लैकलिस्टिंग खंड 20 (i) में इस्तेमाल किया गया शब्द एक ऐसी स्थिति के बारे में बताता है जहां ब्लैकलिस्टिंग पहले ही शुरू की जा चुकी है। सादा उपयोग किए गए अंग्रेजी शब्दों को उनका सामान्य व्याकरणिक अर्थ दिया जाना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि 5.12.2017 दिनांकित कारण बताएँ नोटिस अपने आप में काली सूची में डालने की प्रक्रिया के बराबर था।

पहले से ही शुरू किया गया है। इन दोनों खातों पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी अनुबंध से वंचित हो जाएगा। जहाँ तक दिनांकित 22.2.2018 ब्लैकलिस्टिंग आदेश का प्रभाव है

संबंधित, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कुछ कार्रवाई शुरू करने को उचित मानते हुए, यह एच. पी. सी. एल. को काली सूची में डालने के लिए दिशानिर्देशों के संदर्भ में होना चाहिए। दिशानिर्देश स्वयं दर्शाते हैं कि प्रतिबंध का भविष्य के लिए संभावित प्रभाव पड़ेगा।

व्यापारिक लेन-देन। इस प्रकार, दिए गए निविदा के लिए इसका कोई आवेदन नहीं होगा। [पारस 25-28] [965-B-F]

1.6 खंड 8, व्यवसाय की निरंतरता से निपटने के लिए, सफल बोलीदाता को नए स्थान पर जाने के लिए संक्रमण योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

प्रदान किए गए चार पहलुओं के संबंध में सेवाओं के शून्य व्यवधान के साथ मंच और सुविधा। खंड 10 (जी) के संदर्भ में, प्रतिभूति और व्यवसाय निरंतरता के लिए वैध आई. एस. ओ. प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना चाहिए। यह सवाल नहीं है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से प्राप्त व्यवसाय निरंतरता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने इन व्यावसायिक प्रमाणपत्रों पर संदेह व्यक्त करने की मांग की है, और खंड पीठ ने, विवादित आदेश के संदर्भ में, पक्षों से अपने हलफनामे दाखिल करने का आह्वान करके इस प्रमाणपत्र की जांच शुरू की है और उसके बाद प्रमाण पत्र पर अपने संदेह व्यक्त करने का आह्वान किया है। इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं थी। [पारस 29-30] [964-G-H; 966-A-B]

1.7 प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित गंभीर विवाद हैं, जिनका अपीलार्थी द्वारा खंडन किया जाता है।

शपथ पत्र दाखिल करने वाले प्रतिनिधियों की जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। यह वास्तव में रिट कार्यवाही में संभव नहीं होगा और केवल मुकदमे में निर्धारित किया जा सकता था।

1.8 यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 को स्वयं प्रमाण पत्र पर संदेह होता, तो वह एक और मामला होता। यह ऐसा नहीं है जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर हलफनामे से स्पष्ट है। किसी भी मामले में, इस पहलू को विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए था प्रत्यर्थी संख्या 1, न्यायालय द्वारा उसके बाद की कार्रवाई शुरू करने के बजाय, जैसे कि वह प्रत्यर्थी संख्या 1 के निर्णय पर अपील में बैठा हो। यदि प्रतिवादी नंबर 1 को स्वयं इन प्रमाणपत्रों पर कोई संदेह है, तो कुछ भी नहीं रोका गया है और न ही अभी भी रोकता है।

उत्तरदाता संख्या 1 इस पहलू पर गौर करने के लिए। [पैरा 32] [966-ई-एफ]

1.9 प्रत्यर्थी सं. 3 के वकील का तर्क कि 7.1.2019 दिनांकित अंतरिम आदेश ने प्रत्यर्थी सं. 1 को अनिवार्य कर दिया है।

विवादित आदेश में निहित निर्देशों के अनुसरण में इन सभी पहलुओं की जांच करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल इतना देखा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 "निर्णय ले सकता है", लेकिन निर्णय इसे लागू करने के खिलाफ था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने विवेक में, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, अपीलार्थी को नोटिस जारी करने के बाद आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है और इस न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने का फैसला किया है। निर्देश जारी करना वास्तव में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, जैसा कि उसने करना चाहा था। की गई टिप्पणियों के संदर्भ में उचित निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय का परिचालन निर्देश वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलार्थी के साथ अपने अनुबंध का उल्लंघन करने का निर्देश देने के बराबर है। अपीलार्थी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए मजबूर करने के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, विवादित आदेश को इस आधार पर भी कायम नहीं रखा जा सकता है। [पारस 33-35] [966-G-H; 967-A-C]

1.10 आम तौर पर पक्ष अपने अनुबंधों और निविदा शर्तों द्वारा शासित होंगे, और वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी रिट बनाए रखने योग्य नहीं होगा। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कैरेटेल इंफोटेक लिमिटेड में प्रवेश करने को ध्यान में रखते हुए।

वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। & ओआरएस।

आर्थिक गतिविधियाँ, इस न्यायालय ने प्रक्रिया में निष्पक्षता के कुछ नियंत्रण और संतुलन का निर्माण करना उचित पाया। यही वह दृष्टिकोण है जिसने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही में निविदाओं की जांच को जन्म दिया है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि खिड़की बहुत चौड़ी खोल दी गई है क्योंकि लगभग हर छोटी या बड़ी निविदा को अब लगभग नियमित रूप से रिट कार्यवाही में चुनौती दी जाती है। यह बदले में, सार्वजनिक क्षेत्रों की वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है, जो निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में हो सकते हैं। यह शायद ही मन में उद्देश्य हो सकता था। एक अनावश्यक, करीबी जांच निविदा प्राधिकरण के दृष्टिकोण के विपरीत, सूक्ष्म विवरणों का विवरण, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा अनुबंधों को प्रदान करने को एक बोझिल अभ्यास बनाता है, जिसमें लंबे समय तक मुकदमेबाजी की सीमा होती है। निजी क्षेत्र अक्सर एक ही क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इस प्रकार, निजी अनुबंधों में शीघ्रता और दक्षता का स्तर अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र की निविदाओं को गैर-प्रतिस्पर्धी बनाता है।

व्यायाम करें। इससे सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत नुकसान होता है। [पैरा 36] [967-डी-एच]

1.11 दस्तावेज़ का लेखक सबसे अच्छा व्यक्ति है

इसकी आवश्यकताओं को समझें और उनकी सराहना करें। तत्काल मामले के तथ्यों में, निविदा दस्तावेजों की व्याख्या करने पर प्रतिवादी संख्या 1 का विचार प्रबल होना चाहिए। स्वयं उत्तरदाता संख्या 1,

खंड 20 के शब्दों और प्रारूप की सराहना करने वाले ने एक विचारशील दृष्टिकोण अपनाया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 अपने आप को मजबूर नहीं कर सकता है

जोर दिया। उद्देश्य यह नहीं हो सकता है कि प्रत्येक अनुबंध में, जहां कुछ पक्ष हार जाएँगे, उन्हें किसी तरह चूक करने, सफल पक्षों को अयोग्य घोषित करने का अवसर मिलना चाहिए। जिन आधारों पर निविदा जारी करने वाले पक्ष को भी कोई योग्यता नहीं मिलती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

की गई टिप्पणियों को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए।संदर्भ, ताकि विवादित क्रम में पाई जाने वाली स्थितियों के समान स्थितियों से बचा जा सके। [पैरा 38,42-43] [968-C-E; 971-A-B]

रोशिना टी वी. अब्दुल अज़ीज़ के. टी. और अन्य। (2019) 2 एससीसी

329 ; एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम। नागपुर मेट्रो रेल

निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. (2016) 16 एससीसी 818: [2016] 3 एस. सी. आर. 551; नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) v.

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और

एन. आर. (2018) 11 एस. सी. सी. 508; एल. आर. के माध्यम से सत्य जैन (मृत)। और ओआरएस। वी. अनीस अहमद रुश्दी (मृत) एल. आर. & ओआरएस। (2013) 8 एससीसी 131: [2013] 3 एससीआर 319 -

संदर्भित किया गया।

बेलीज के महान्यायवादी बनाम। बेलीज टेलीकॉम लिमिटेड

(2009) 1 डब्ल्यूएलआर 1988 (पीसी); मूरकॉक (1889) एलआर 14 पीडी 64 (सीए)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2019) 2 एस. सी. सी. 329

संदर्भित किया गया है

पैरा
31

[2016] 3 एससीआर 551

पैरा
37

संदर्भित किया गया है

(2018) 11 एस. सी. सी. 508

पैरा
39

संदर्भित किया गया है

[2013] 3 एससीआर 319

संदर्भित किया गया है

पैरा

40

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3588

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आदित्य कुमार चौधरी, अर्जुन डी सिंह, अमित कुमार, आर. वेंकटरमन, राजेश सिंह चौहान, परिजासिन्हा, सुश्री रेशमी रिया सिन्हा, गौरव घोष, रुद्र दत्ता, गोपाल जैन संजय कुमार विसेन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

कैरेटेल इंफोटेक लिमिटेड। वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। & ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1)

आई. ओ. सी./एच. पी. सी./बी. पी. सी. के एल. पी. जी. ग्राहकों से सूचना पूछताछ और शिकायतों को प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने और उनका जवाब देने के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए 4.12.2017 पर ई-सार्वजनिक निविदा जारी की। अपीलार्थी ने निविदा में भाग लिया। निविदा का खंड 20 निम्नानुसार हैः

" 20. काली सूची/प्रतिबंध/अवकाश सूची

आई. जिन दलों को प्रतिबंधित/काली सूची में डाला गया है/छुट्टियों की सूची में रखा गया है या जिन दलों के संबंध में कार्रवाई की गई है, उनसे प्राप्त बोलियां

अस्वीकार किया जाता है।
ii. बोलीदाता एक लिखित घोषणा देगा जो यह दर्शाता है कि वे इस नियत तिथि पर अवकाश सूची/प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं हैं।

कोमल "।

3. अपीलार्थी को एक अन्य निविदा के संबंध में, अर्थात, निविदा जारी करने के बाद, लेकिन बोली जमा करने से पहले, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को किसान कॉल सेंटर ट्रे सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई झूठी जानकारी और बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप पर काली सूची में डालने के लिए 5.12.2017 पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था।

भारत।

4. कारण दर्शाओ नोटिस में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न स्थानों पर कॉल सेंटर चलाने के संबंध में बोली दस्तावेजों में अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी की शुद्धता के बारे में सवाल उठाए जाने पर, अधिकारियों के माध्यम से जांच की गई और आगे की जानकारी मांगे जाने के बावजूद, वह सामने नहीं आई। कारण दर्शाओ नोटिस का ऑपरेटिव हिस्सा इस प्रकार हैः

“ तदनुसार, उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रथम दृष्टया, एक स्थिति सामने आई है कि मैसर्स कैरेटेल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड।

इसके द्वारा मैसर्स कैरेटेल इंफोटेक प्राइवेट को नोटिस जारी किया जाता है। लिमिटेड दिखाने के लिए फर्म (मेसर्स) को काली सूची में डालने के लिए उचित कार्रवाई क्यों की जाए।

कैरेटेल इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड) शुरू नहीं किया जाना चाहिए। आप हैं। 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया

इस पत्र के जारी होने की तारीख। समाप्ति के बाद प्राप्त प्रतिक्रिया

दी गई समय सीमा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

5. अपीलार्थी ने ई-निविदा के संबंध में बोली प्रस्तुत की

2.2017 . उपर्युक्त खंड 20 के संदर्भ में, घोषणा किए जाने के लिए एक प्रारूप का प्रावधान किया गया था, जो निम्नानुसार हैः

" घोषणा ब्लैकलिस्टेड/नॉन

प्रतिबंधित/गैर-अवकाश सूचीबद्ध पार्टी

या ब्लैक लिस्टेड या डिलिस्टेड या हॉलिडे किसी भी सरकार या क्रुआसी द्वारा सूचीबद्ध

सरकारी अभिकर्ता या सार्वजनिक क्षेत्र अंडरटेकिंग्स

तारीखः

निविदाकार का नाम -

हस्ताक्षर और मुहर

स्थानः

निविदाकार का

ध्यान देंः यदि किसी बोलीदाता को किसी सरकारी या अर्ध सरकारी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित किया गया है

उपक्रम, इस तथ्य को विवरण के साथ स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

यदि यह घोषणा अनप्राइस के साथ नहीं दी गई है

बोली, निविदा को गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अपीलार्थी ने उपरोक्त शर्तों में घोषणा प्रस्तुत की, अर्थात कि अपीलार्थी को किसी भी सरकारी या सरकारी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया था।

कैरेटेल इंफोटेक लिमिटेड। वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम ढक्कन। & ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

6. अपीलार्थी ने एक बार फिर निर्धारित प्रपत्र में एक वचन पत्र भी प्रस्तुत किया। उपक्रम का प्रारूप इस प्रकार हैः

" पत्र के सिर पर

बोलीदाता द्वारा उपक्रम

हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि हमारी बोली और संलग्नक में आपको दी गई पूरी जानकारी हमारी जानकारी के अनुसार सही है।

और विश्वास और उसमें कुछ भी गलत नहीं है।

मैं/हम आगे वचन देते हैं कि यदि यह निविदा चरण के दौरान पाया जाता है

(एच. पी. सी. एल. द्वारा हमारी बोली/खरीद आदेश की नियुक्ति को स्वीकार करने से पहले) कि हमारे द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज गलत या गलत है, तो हम सहमत हैं कि एच. पी. सी. एल. हमारी निविदा/बोली को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि हमारी बोली/खरीद आदेश को स्वीकार करने के बाद किसी भी चरण के दौरान यह गलत या गलत पाया जाता है, तो एचपीसीएल हमारी निविदा को संक्षेप में रद्द करने और किसी भी वैकल्पिक स्रोत से शेष राशि प्राप्त करने का अधिकार है। एच. पी. सी. एल. को हमारे अनुबंध की दरों और उन दरों के बीच अंतर राशि की वसूली करने का अधिकार होगा जिन पर एच. पी. सी. एल. को वैकल्पिक स्रोत से खरीद करने के लिए मजबूर किया जाता है, यदि बाद की दर अधिक है। इस प्रभाव के लिए, एच. पी. सी. एल. द्वारा किसी भी बैंक गारंटी को भुनाकर वसूली की जा सकती है जो हमने प्रस्तुत की हो या इस अनुबंध या एच. पी. सी. एल. के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत किसी भी लंबित बिल से।

इसके अलावा एच. पी. सी. एल. ऐसी स्थिति में कोई भी उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। हम आगे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बुलाए जाने पर, उसके निरीक्षण के लिए, उस दस्तावेज़ (दस्तावेजों) के मूल (दस्तावेजों) को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, जिनकी प्रतियाँ यहाँ संलग्न की गई हैं।

बोलीदाता का नाम -

तारीखः

हस्ताक्षर और मुहर

स्थानः

बोली लगाने वाले का

उत्तरदाता संख्या 1 ने तकनीकी और वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया

और 16.1.2018 पर अपीलार्थी को L-1 और प्रतिवादी संख्या 3 को L-2 घोषित किया। अपीलार्थी को दी गई निविदा की स्वीकृति का पत्र दो साल की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए Rs.791 लाख मूल के मूल्य के लिए 12.2.2018 पर जारी किया गया था।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. प्रत्यर्थी संख्या 3 ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में 17.2.2018 पर एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अपीलार्थी की एल-1 के रूप में घोषणा का आरोप लगाया गया। द.

अनुबंध की शर्तों और भुगतान के तरीके की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में खरीद आदेश 21.2.2018 पर जारी किया गया था। एक दिन बाद, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आदेश जारी करने की तारीख से दो साल के लिए अपीलार्थी को भारत सरकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने और काली सूची में डालने का आदेश पारित किया। इस आदेश पर अपीलार्थी द्वारा एक रिट दायर करके हमला किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका, जो 9.3.2018 पर नोटिस जारी करने के लिए प्रसन्न था, और हमें सूचित किया जाता है कि बाद में, 12.3.2019 पर, उस याचिका को खारिज कर दिया गया था और इसके खिलाफ एक लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई थी।

वही लंबित है।

9. प्रत्यर्थी सं. 3, के तथ्य से अवगत होने के बाद

अपीलार्थी को काली सूची में डालने से उक्त तथ्य को शामिल करने के लिए याचिका में संशोधन किया गया। रिट याचिका को डिवीजन बेंच के दिनांक 21.12.2018 के विवादित आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। 10. उच्च न्यायालय का निर्णय दो तथ्यों पर आधारित है-पहला, अपीलार्थी को जारी किए गए कारण बताएँ नोटिस के तथ्य का खुलासा न करना वचन का उल्लंघन है। इस मुद्दे से जुड़ा हुआ यह है कि निविदा के खंड 20 (iii) में 'पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने' के लिए एक अखंडता समझौते का प्रावधान किया गया था और उस अखंडता समझौते पर अपीलार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे और प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, खंड पीठ ने अपीलार्थी द्वारा निविदा की धारा 4 के खंड 10 (जी) के साथ पठित खंड 8 के अनुपालन पर संदेह व्यक्त किया। यह विवाद व्यापार की निरंतरता और निविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से एक वैध आई. एस. ओ. प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता से संबंधित खंड से संबंधित है। रिले इवेंट खंड निम्नानुसार पढ़े जाते हैंः

ओएमसी के पास वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित एक सर्वर वाइस प्रदाता के साथ इनबाउंड कॉल के लिए एक समझौता है। सफल बोलीदाता को नए प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए संक्रमण योजना प्रस्तुत करनी होती है और फोल के
संबंध में सेवाओं के "शून्य" व्यवधान के साथ सुविधा

ढलान वाले क्षेत्रः

क) टोल-मुक्त सेवाएँ।

ख) आई. वी. आर. एस. आधारित कॉल हैंडलिंग।

ग) सफल बोलीदाता के परिसर में कॉल ट्रैफिक का डायवर्जन।

कैरेटेल इंफोटेक लिमिटेड। वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम ढक्कन। & ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

घ) गो-लाइव डेट के समय प्रशिक्षित प्रचालक। " 10. अन्य अनिवार्य आवश्यकताएँ:

XXXX

XXXX

XXXX

X

XXX

XXXX

छ) सुरक्षा के लिए वैध आई. एस. ओ. प्रमाणन 27001 और सुरक्षा के लिए आई. एस. ओ. 2301

व्यावसायिक निरंतरता "।

यह विवादित नहीं है कि द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण का प्रमाण पत्र

अपीलार्थी को एलीट सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था। लिमिटेड, प्रत्यर्थी संख्या 2. हालांकि, प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रमाण पत्र पर संदेह करने की मांग की और उच्च न्यायालय को इस पर विश्वास करने का कारण मिला, भले ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में इसके विपरीत रुख अपनाया गया था।

11. 7.1.2019 पर, दायर की गई वर्तमान अपील पर नोटिस जारी किया गया था

विवादित आदेश के खिलाफ और एक अंतरिम आदेश निम्नलिखित शर्तों में पारित किया गया थाः

“ इस बीच, प्रतिवादी संख्या 1 (एच. पी. सी. एल.) एक ले सकता है

निर्णय लें लेकिन उसे लागू न करें। याचिकाकर्ता इसके तहत जारी रह सकता है

अगले आदेश तक अनुबंध।

उसी का परिणाम यह है कि अपीलार्थी ने देना जारी रखा है

अनुबंध के तहत सेवाएं अब अनुबंध से लगभग तेरह (13) महीने से अधिक समय के लिए दो साल के लिए और प्रतिवादी संख्या 1 ने, हालांकि कहा गया है कि उसने विवादित आदेश में निहित निर्देशों के अनुसरण में अपीलार्थी को नोटिस जारी किया है, लेकिन जांच के साथ आगे नहीं बढ़ने और वर्तमान अपील में फैसले की प्रतीक्षा करना उचित समझा है।

12. हमने श्री श्याम दीवान को सुना है, जिनके लिए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं

अपीलार्थी, श्री के. वी. विश्वनाथन, प्रत्यर्थी नं. 3 के विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रत्यर्थी नं. 1 के विद्वान वकील श्री पारिजात सिन्हा। पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दो पहलुओं पर प्रस्तुतियाँ और हमारे निष्कर्ष इसके बाद दर्ज किए गए हैं।

ब्लैकलिस्टिंगः

13. श्री श्याम दीवान, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील

यह तर्क देता है कि विवादित आदेश खंड 20 को काली सूची में डालने को गलत तरीके से पढ़ता है।

निवेदन यह था कि निस्संदेह, अपीलार्थी को एक ऐसे पक्ष के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था जिसे प्रतिबंधित/काली सूची में डाल दिया गया हो/छुट्टी सूची में डाल दिया गया हो। यह इस तथ्य के संदर्भ में भी है कि इस तरह की काली सूची के गंभीर परिणाम होते हैं और खंड में ही यह प्रावधान किया गया है कि निर्धारित प्रारूप में घोषणा प्रस्तुत न करने से बोली गैर-उत्तरदायी हो जाएगी और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा। खंड 20 (ii) के संदर्भ में, लिखित घोषणा निविदा की नियत तिथि पर दी जानी थी। जिस प्रारूप में यह घोषणा दी जानी थी, वह निर्दिष्ट किया गया था और था

बोली लगाने वाले के अपने शब्दों पर नहीं छोड़ा गया। ऊपर बताए गए प्रारूप में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस तरह की घोषणा केवल तभी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जब बोली लगाने वाले को "प्रतिबंधित या काली सूची में या सूची से हटा दिया गया था या छुट्टी सूची में" रखा गया था। बोली जमा करने की तारीख को वह स्थिति प्रचलित नहीं थी, 19.12.2017 पर क्योंकि उस तारीख तक केवल 5.12.2017 पर एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था। ब्लैकलिस्टिंग का आदेश 22.2.2018 पर, निविदा की स्वीकृति और अपीलार्थी पर खरीद आदेश की नियुक्ति की तारीख के बाद, 21.2.2018 पर पारित किया गया था।

14. उपरोक्त संदर्भ में, यह भी तर्क दिया गया है कि 'अनुलग्नक 21' में 'अवकाश सूचीकरण के लिए दिशानिर्देश (व्यवसाय पर प्रतिबंध)' दिए गए हैं

" फर्म को काली सूची में डालने के लिए उपयुक्त कार्रवाई क्यों की जाए (मेसर्स. कैरेटेल इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड) शुरू नहीं किया जाना चाहिए। 1 खंड 20 (i) की आवश्यकता वास्तविक दीक्षा थी। इस प्रकार, यह दलील दी गई कि काली सूची में डालने की शुरुआत केवल कारण बताएँ नोटिस जारी करके नहीं की गई थी, क्योंकि नोटिस में कहा गया था कि

1 केयरटेल इंफोटेक लिमिटेड पर जोर दिया गया। वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम ढक्कन। & ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

इस बात का कारण दिखाने के लिए कि कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए, अर्थात, एक पूर्व

16. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि प्रारूप में निर्धारित किया गया था खंड 20 (ii) के संदर्भ में, जो एक ऐसा मामला था जिसमें ब्लैकलिस्ट किया गया था

निविदा की नियत तिथि पर पहले से ही हो चुका है। तथापि, खंड 20 (i) के अनुसार चार संभाव्यताएँ थींः (क) प्रतिबंधित; (ख) काली सूची में डाल दिया गया; (ग) छुट्टियों की सूची में डाल दिया गया; या (घ) काली सूची या छुट्टियों की सूची में डालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। यह उनका निवेदन था कि वर्तमान मामला एक था जहां ब्लैकलिस्टिंग कम से कम शुरू की गई थी और इसलिए, अपीलकर्ता अपने निविदा के साथ इस तथ्य का खुलासा करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, न कि प्रारूप के अनुसार, बल्कि बोलीदाता द्वारा दिए जाने वाले वचन के संदर्भ में, जिसके लिए पूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि उस वचन का उल्लंघन किया गया था, जैसा कि विवादित आदेश में कहा गया था।

17. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि खंड 20 (i) की व्याख्या पर अपीलार्थी द्वारा उठाई जाने वाली याचिका, अपीलार्थी द्वारा अपनी चुनौती में दायर किया गया मामला भी नहीं था।

उनकी रिट याचिका में आदेश को काली सूची में डाल दिया गया था, लेकिन जो अनुरोध किया गया था वह केवल सुनवाई के अवसर का अभाव था।

18. वैकल्पिक रूप से, विद्वान वकील ने यह भी तर्क देने की मांग की कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अंतरिम निर्देशों का पालन नहीं किया था।

7.1.2019 पर नोटिस जारी करने का चरण, और विवादित आदेश को लागू करना चाहिए था और एक जांच आयोजित करनी चाहिए थी और उस जांच रिपोर्ट को अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए था।

19. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने विवेक से, विवादित आदेश के अनुसरण में नोटिस जारी करने के बाद अपना हाथ रोक लिया था और इस न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करना पसंद किया था।

20. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम हैं

यह विचार कि अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के विवाद में बल है। हम, वास्तव में, दोनों पहलुओं से सहमत हैं, अर्थात, प्रारूप के साथ पठित खंड 20 की व्याख्या के साथ-साथ

कारण दर्शाओ नोटिस का प्रभाव।

21. इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड 20 में चार संभावनाओं का प्रावधान है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान मामला वह नहीं है जहां निविदा जमा करने की तारीख को अपीलार्थी को प्रतिबंधित, काली सूची में डाल दिया गया था या छुट्टी की सूची में डाल दिया गया था। इस प्रकार, हमारे सामने सवाल यह होगा कि काली सूची में डालने और छुट्टियों की सूची शुरू करने की कार्रवाई का क्या प्रभाव होगा। बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली घोषणा खंड 20 (ii) में निर्दिष्ट की गई है, जो पहले तीन पहलुओं से संबंधित है। निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रारूप भी केवल इन तीन संभावनाओं को संदर्भित करता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई विशिष्ट प्रारूप प्रदान नहीं किया गया है, जहां संभवतः यह तर्क दिया जा सकता है कि प्रकटीकरण सभी चार पहलुओं के संबंध में होना चाहिए। प्रारूप प्रदान किए जाने के बाद, यदि काली सूची की शुरुआत निर्दिष्ट की जानी थी, तो उसे प्रारूप में शामिल किया जाना चाहिए था। यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए वचन ने अपीलार्थी का यह बाध्यकारी कर्तव्य बना दिया है कि वह काली सूची में डालने के लिए कारण बताए जाने के नोटिस के पहलू का खुलासा करे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रदान किए गए विशिष्ट प्रारूप के साथ एक विशिष्ट खंड है, जिसके लिए उसी के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

22. यह तर्क देना संभव हो सकता है कि प्रारूप सही ढंग से नहीं बनाया गया है। लेकिन फिर, यह प्रारूप को तैयार करने की समस्या है

निगम की खरीद गतिविधियों में पारदर्शिता और निष्पक्ष लेनदेन सुनिश्चित करने के संबंध में अन्य। विधिवत हस्ताक्षरित अखंडता समझौता एक वैध बोली के लिए एक आवश्यक शर्त है। इस प्रकार, यह खंड, के तहत की गई गतिविधियों की पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार से संबंधित है जहां तक खरीद गतिविधियों का संबंध है, निविदा दी जानी थी। एक बार फिर, खंड 20 (i) के बताए गए चौथे भाग के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

कैरेटेल इंफोटेक लिमिटेड। वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम ढक्कन। & ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

24. हम इस पहलू को दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। ब्लैकलिस्टिंग के बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। कारण दर्शाओ नोटिस दिया जा सकता है इसके परिणामस्वरूप काली सूची में डाल दिया जाता है या काली सूची में नहीं डाल दिया जाता है। एक बोलीदाता पर इस तरह के गंभीर परिणाम का सामना करने के लिए केवल कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।

25. अपीलार्थी के मामले को कारण दर्शाओ नोटिस में उपयोग की गई भाषा से भी और मजबूत किया जाता है। अंतिम पैराग्राफ में कारण दर्शाओ नोटिस स्वयं अपीलार्थी से कारण दिखाने के लिए कहता है कि काली सूची में डालने के लिए उपयुक्त कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। अपीलार्थी के जवाब के अनुसार, अगला चरण दीक्षा होगी।

ब्लैकलिस्टिंग प्रक्रिया, यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। दूसरी ओर, ब्लैकलिस्टिंग खंड 20 (i) में इस्तेमाल किया गया शब्द एक ऐसी स्थिति के बारे में बताता है जहां ब्लैकलिस्टिंग पहले ही शुरू की जा चुकी है। सादा

उपयोग किए गए अंग्रेजी शब्दों को उनका सामान्य व्याकरणिक अर्थ दिया जाना चाहिए, एक पहलू जिस पर इसके बाद थोड़ा और विस्तार से चर्चा की गई है।

27. इन दोनों खातों पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी अनुबंध से वंचित हो जाएगा। 28. जहां तक दिनांक 22.2.2018 के काली सूची में डालने के आदेश के प्रभाव का संबंध है, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कुछ कार्रवाई शुरू करने को उचित मानते हुए, यह एच. पी. सी. एल. को काली सूची में डालने के लिए दिशानिर्देशों के संदर्भ में होना चाहिए। दिशानिर्देश स्वयं दर्शाते हैं कि प्रतिबंध का भविष्य के व्यावसायिक लेन-देन पर संभावित प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, दिए गए निविदा के लिए इसका कोई आवेदन नहीं होगा।

व्यवसाय निरंतरता प्रमाणपत्रः

29. दूसरा कारण जिसे उच्च न्यायालय का पक्ष मिला, वह था प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा व्यवसाय पर उत्पन्न संदेह।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल निरंतरता प्रमाणपत्र। खंड 8, व्यवसाय की निरंतरता से निपटने के लिए, सफल बोलीदाता को पहले प्रदान किए गए चार पहलुओं के संबंध में सेवाओं के शून्य व्यवधान के साथ नए मंच और सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए संक्रमण योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। खंड 10 (जी) के संदर्भ में, सुरक्षा के लिए वैध आई. एस. ओ. प्रमाणपत्र 27001 और व्यवसाय निरंतरता के लिए आई. एस. ओ. 2301 प्रदान करना होगा।

यह प्रश्न नहीं है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से प्राप्त व्यवसाय निरंतरता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

30. प्रत्यर्थी संख्या 3 ने इस व्यावसायिक प्रमाणपत्र पर संदेह व्यक्त करने की मांग की है, और खंड पीठ ने, विवादित आदेश के संदर्भ में, दोनों पक्षों को अपने शपथ पत्र दाखिल करने के लिए बुलाकर इस प्रमाण पत्र की जांच शुरू कर दी है और उसके बाद प्रमाण पत्र पर अपने संदेह व्यक्त करने का आह्वान किया है। हमारे विचार में, इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं थी।

31. प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित गंभीर विवाद हैं, जिनका अपीलार्थी द्वारा खंडन किया जाता है। मौका था

जिन प्रतिनिधियों ने शपथ पत्र दायर किए थे, उन्हें पार करने का अधिकार दिया जाए। यह वास्तव में रिट कार्यवाही में संभव नहीं होगा और केवल वाद कार्यवाही में निर्धारित किया जा सकता था। अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही की प्रक्रिया के माध्यम से हमेशा एक शॉर्टकट नहीं हो सकता है।

भारत का संविधान, जब ऐसे विवाद मौजूद हों। हम उपयोगी रूप से रोशिना टी वी में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। अब्दुल अज़ीज़ के. टी. और अन्य। , 2 यह मत व्यक्त करते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का उद्देश्य दीवानी मुकदमे के माध्यम से सामान्य उपायों को प्रतिस्थापित करना नहीं है, और इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग वादी द्वारा केवल पूछने पर आकस्मिक या हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। 32. हम एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को भी देख सकते हैं, अर्थात, प्रत्यर्थी संख्या 3 के आरोपों को स्वीकार करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 की अनिच्छा। अगर

प्रतिवादी सं. 1 का आक्षेपित आदेश में निहित निर्देशों के अनुसरण में इन सभी पहलुओं की जांच करना। केवल इतना देखा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 "निर्णय ले सकता है", लेकिन निर्णय इसे लागू करने के खिलाफ था। उत्तरदाता संख्या 1 अपने ज्ञान में, जैसा कि विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया है

2 (2019) 2 एस. सी. सी. 329 कैरेटेल इंफोटेक लिमिटेड। वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम ढक्कन। & ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

प्रत्यर्थी संख्या 1 के वकील ने अपीलार्थी को नोटिस जारी करने के बाद आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है और इस न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने का फैसला किया है। हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि निर्देश जारी करना वास्तव में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, जैसा कि उसने करना चाहा था।

34. उच्च न्यायालय के कार्यात्मक निर्देश, जैसा कि निर्णय के पैरा 47 में निहित है, की गई टिप्पणियों के संदर्भ में उचित निर्णय लेने के लिए, वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलार्थी के साथ अपने अनुबंध का उल्लंघन करने का निर्देश देने के बराबर है। हमारा विचार है कि, इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए मजबूर करने के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

35. इस प्रकार, हम विवादित आदेश को बनाए रखने में भी असमर्थ हैं।

इस मैदान को।

उपाख्यानः

36. हम विवाद की प्रकृति के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां करना उचित समझते हैं जो हमारे सामने है। आम तौर पर पार्टियाँ

उनके अनुबंधों और निविदा शर्तों द्वारा शासित होगा, और वास्तव में कोई भी रिट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

भारत। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उद्यम को देखते हुए आर्थिक गतिविधियों में, इस न्यायालय ने प्रक्रिया में निष्पक्षता के कुछ नियंत्रण और संतुलन का निर्माण करना उचित पाया। यह तरीका है कि

इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही में निविदाओं की जांच को जन्म दिया है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि खिड़की इसे बहुत व्यापक रूप से खोला गया है क्योंकि लगभग हर छोटी या बड़ी निविदा को अब लगभग नियमित रूप से रिट कार्यवाही में चुनौती दी जाती है। यह बदले में, सार्वजनिक क्षेत्रों की वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है, जो निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में हो सकते हैं। यह शायद ही मन में उद्देश्य हो सकता था। एक अनावश्यक, निकट

निविदा प्राधिकरण के दृष्टिकोण के विपरीत, कार्यवृत्त विवरण की जांच, सरकार और जनता द्वारा अनुबंध प्रदान करती है।

क्षेत्र एक बोझिल अभ्यास है, जिसमें लंबे समय तक मुकदमेबाजी की सीमा तय की जाती है। निजी क्षेत्र अक्सर एक ही क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इस प्रकार, निजी अनुबंधों में शीघ्रता और दक्षता का स्तर अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र की निविदाओं को एक गैर-प्रतिस्पर्धी अभ्यास बनाता है। इससे सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत नुकसान होता है।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम। नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और Anr.[3], इस न्यायालय ने इस पहलू पर आगे व्याख्या करते हुए कहा है कि बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने में निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप है

अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब निर्णय लेने की प्रक्रिया इस हद तक मनमाना या तर्कहीन हो कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी, उचित रूप से और कानून के अनुसार कार्य करते हुए, इस तरह के निर्णय पर नहीं पहुंच सकता था। यह आगाह किया गया है कि संवैधानिक न्यायालयों से प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप करने में संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है और उन्हें प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए अपने विचार को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। केवल असहमति

38. एक अन्य पहलू जिस पर जोर दिया गया है वह यह है कि दस्तावेज़ का लेखक इसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। में वर्तमान मामले के तथ्य, निविदा दस्तावेजों की व्याख्या करने पर प्रतिवादी संख्या 1 का विचार प्रबल होना चाहिए। खंड 20 के शब्दों और प्रारूप की सराहना करते हुए स्वयं उत्तरदाता संख्या 1 ने एक विचारशील दृष्टिकोण अपनाया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 अपने आप को मजबूर नहीं कर सकता है

प्रत्यर्थी संख्या 1 पर लगाए जाने वाले अनुबंध की व्याख्या, या न्यायालय से प्रत्यर्थी संख्या 1 को उस व्याख्या को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए कहें। वास्तव में, न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा कि यह संभव है कि निविदा का लेखक एक ऐसी व्याख्या दे जो संवैधानिक न्यायालय को स्वीकार्य न हो, लेकिन यह स्वयं दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं होगा। हम इस संबंध में टिप्पणियों को निम्नानुसार दोहराते हैं:

" 15. हम यह जोड़ सकते हैं कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता, जिसने निविदा दस्तावेज लिखे हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने और उसके दस्तावेजों की व्याख्या करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। संवैधानिक न्यायालयों को निविदा दस्तावेजों की स्थिति और सराहना के तहत इसे स्थगित करना चाहिए, जब तक कि

समझ या प्रशंसा या निविदा शर्तों की शर्तों के अनुप्रयोग में दुर्भावनापूर्ण या विकृति है। यह संभव है कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता निविदा दस्तावेजों की व्याख्या दे सकता है जो संवैधानिक अदालतों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह अपने आप में एक कारण नहीं है।

दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करना।

3 3 (2016) 16 एस. सी. सी. 818 ए. आर. ई. टी. ई. एल. इंफोटेक लिमिटेड।

वी. हिंडन पेट्रोलियमसंगठन ढक्कन। & ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

39. हम नाभा में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं।

ईआर लिमिटेड (एन. पी. एल.) v. पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सी. एल.) & एन. आर. , 4 हम में से एक (संजय किशन कौल, जे.) द्वारा लिखित। द.

वाणिज्यिक अनुबंधों की व्याख्या के लिए सिद्धांत हैं

उपयोग किया। उक्त निर्णय में, एक संदर्भ दिया गया थाबेलीज के महान्यायवादी बनाम में प्रिवी काउंसिल के वेशन। बेलीज़ ओम Ltd.5 निम्नानुसार हैः

" 16. अपील न्यायालय के तर्क पर अधिक विस्तार से चर्चा करने से पहले, बोर्ड निहितार्थ की प्रक्रिया के बारे में कुछ सामान्य टिप्पणियां करेगा। न्यायालय के पास उस लिखत में सुधार करने की कोई शक्ति नहीं है जिसका अर्थ लगाने के लिए उसे कहा जाता है, चाहे वह अनुबंध हो, कानून हो या संघ के लेख हों। यह नहीं हो सकता।

इसे निष्पक्ष या अधिक उचित बनाने के लिए शर्तों का परिचय दें। यह केवल यह पता लगाने के लिए है कि उपकरण का क्या अर्थ है। हालांकि, यह

अर्थ आवश्यक रूप से या हमेशा लेखकों या पक्षों के लिए नहीं होता है।

दस्तावेज़ का इरादा होना चाहिए। " " 19. ..... ट्रोलोप एंड कॉल्स लिमिटेड बनाम उत्तर पश्चिम महानगर

क्षेत्रीय अस्पताल बोर्ड [1973] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 601,609 लॉर्ड पियर्सन, जिनके साथ लॉर्ड गेस्ट और लॉर्ड डिप्लॉक सहमत थे, ने कहाः

" अदालत पक्षों के लिए कोई अनुबंध नहीं करती है। अदालत उस अनुबंध में भी सुधार नहीं करेगी जो पक्षों ने अपने लिए किया है, चाहे सुधार कितना भी वांछनीय क्यों न हो। अदालत का कार्य उस अनुबंध की व्याख्या करना और उसे लागू करना है जो पक्षों ने अपने लिए किया है। यदि अभिव्यक्त शर्तें

पूरी तरह से स्पष्ट और अस्पष्टता से मुक्त हैं, विभिन्न संभावित अर्थों के बीच कोई विकल्प नहीं हैः साफ़-साफ़

शर्तों को लागू किया जाना चाहिए, भले ही अदालत को लगता हो कि कुछ अन्य शर्तें अधिक उपयुक्त होतीं। एक अप्रकाशित शब्द तभी निहित किया जा सकता है जब अदालत को पता चलता है कि पक्षों ने उस शब्द को अपने अनुबंध का हिस्सा बनाने का इरादा किया होगाः न्यायालय के लिए यह पता लगाना पर्याप्त नहीं है कि इस तरह के शब्द को पक्षकारों द्वारा उचित व्यक्तियों के रूप में अपनाया गया होता यदि उन्हें यह सुझाव दिया गया होताः यह एक ऐसा शब्द रहा होगा जो बिना कहे चला गया, अनुबंध को व्यावसायिक प्रभावकारिता देने के लिए आवश्यक शब्द,

3) 11 एस. सी. सी. 508 9) 1 डब्ल्यूएलआर 1988 (पीसी)

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शब्द जो, हालांकि मौन, अनुबंध का हिस्सा था जो

पार्टियाँ अपने लिए बनाई गई थीं।

40. नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) 6 ने एल. आर. के माध्यम से सत्य जैन (मृत) मामले में इस अदालत के पहले के फैसले पर भी ध्यान दिया। और ओआरएस।

बनाम अनीस अहमद रुश्दी (मृत) एल. आर. के माध्यम से। और ओआरएस। ' , जिसमें मूरकॉक में बोवेन, एल. जे. द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक प्रभावकारिता के सिद्धांत पर चर्चा की गई। यह स्पष्ट किया गया है कि इस परीक्षण के लिए आवश्यक है कि शर्तों को केवल तभी निहित किया जा सकता है जब अनुबंध की विफलता से बचने के लिए अनुबंध को व्यावसायिक प्रभावशीलता देना आवश्यक हो और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल न्यूनतम निहितार्थ होना चाहिए। इस प्रकार, यदि अनुबंध शर्तों के निहितार्थ के बिना व्यावसायिक समझ में आता है, तो अदालतें उसी का संकेत नहीं देंगी।

41. नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) ओ. में निर्णय निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ समाप्त हुआः

पैरा 72:

" 72. हालाँकि, हम अंत में सावधानी के एक शब्द का विस्तार कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रयास नहीं होना चाहिए कि

अनुबंध की निहित शर्तों को देखें। वर्तमान समय और युग में, अनुबंध बनाना उच्च तकनीकी विशेषज्ञता का विषय है जिसमें सभी पक्षों के कानूनी दिमाग एक मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल हैं।

अनुबंध। यह खोजने के अवसरों से भी पहले है।

स्पष्टीकरण और संदेह ताकि पक्षों को पता चले कि वे क्या कर रहे हैं। इस प्रकार, आम तौर पर एक अनुबंध को उसकी स्पष्ट शर्तों के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। निहित शब्द एक अवधारणा है, जो है

हमने वास्तव में इसमें किसी भी 'निहित शब्द' को नहीं पढ़ा है, लेकिन खंडों के संग्रह से, इस निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या अनुबंध कहता है। हमारे विचार से ऊर्जा आवेशों का सूत्र काफी स्पष्ट था। हमने अनुबंध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए केवल इसकी प्राकृतिक व्याकरणिक आकृति के अनुसार इसकी व्याख्या की है।

6 (ऊपर)

7 (2013) 8 एससीसी 131

8 (1889) एलआर 14 पीडी 64 (सीए) 9 9 (ऊपर)

कैरेटेल इंफोटेक लिमिटेड। वी. हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम ढक्कन। & ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

42. हमने एक बार फिर इस पर जोर देना उचित समझा है।

उपर्युक्त पहलू, विशेष रूप से न्यायालयों के अनुबंधों को अपनी व्याख्या देने के प्रयासों के संदर्भ में, निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले तीसरे पक्ष के कहने पर, विशेष रूप से निविदा की शर्तों के लिए, न कि निविदा तैयार करने वाले पक्ष द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया है। उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि हर अनुबंध में, जहां कुछ पक्ष हार जाते हैं, उन्हें किसी तरह चूक करने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि सफल लोगों को अयोग्य घोषित किया जा सके।

पक्षकार, जिनके आधार पर निविदा जारी करने वाले पक्षकार को भी कोई योग्यता नहीं मिलती है।
43. उपरोक्त टिप्पणियों को बड़े संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ताकि हम विवादित क्रम में पाई जाने वाली स्थितियों से बच सकें।

निष्कर्षः

44. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर रिट याचिका है -

तदनुसार खारिज कर दिया।

45. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है, जिससे पक्षकारों को अपना खर्च वहन करना पड़ता है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन